प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 417 सन 2021
अनवान :–

1. विक्रमसिंह पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मांगीराम पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेश कुमार अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01.12.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 185/178 की कुल 16.7180हैक्ट में से 24731/167180 हिस्सा व खाता संख्या 338/308 की कुल 17.4270हैक्ट मेंसे 19363/87135 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 51/50 की कुल 2.7830हैक्ट में से 4/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमे सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 185/178 की कुल 16.7180हैक्ट में से 24731/167180 हिस्सा व खाता संख्या 338/308 की कुल 17.4270हैक्ट मेंसे 19363/87135 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 51/50 की कुल 2.7830हैक्ट में से 4/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरदेवा पि0 मु0 जैसा एवं हरदेवा वल्द मालूराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि रोही मौजा चक 6 आरएमजी की भूमि पूर्व में हरदेवा वल्द मालूराम के नाम से दर्ज थी एवं रोही मौजा बडबिराना की भूमि हरदेवा पि0मु0 जैसा के नाम से दर्ज थी अर्थात दो भिन्न व्यक्तियो के नाम से दर्ज थी वादी दोनो व्यक्तियो में से एक की ही भूमि पैतृक सम्पति के आधार पर पाने का अधिकारी था वादी अपने पूर्वज गोद/खोले गये पिता हरदेवा पि0मु0 जैसा की भूमि या पैतृक पिता हरदेवा वल्द मालूराम के नाम दोनो में से एक की भूमि ही प्राप्त करने का अधिकारी हे प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी हरदेवा पि0मु0 जैसा से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई भूमि को पैतृक सम्पति के आधार पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति के आधार पर वादी अपना हक हिस्सा पाने का अधिकारी है चक 6 आरएमजी की भूमि जो हरदेवा वल्द मालूराम के नाम से दर्ज है में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात रोही मौजा बडबिराना की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ने समस्त भूमि पैतृक होना स्वीकार किया जाकर वादी के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज करने में सहमति दी जा चुकी है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 185/178 की कुल 16.7180हैक्ट में से 24731/167180 हिस्सा व खाता संख्या 338/308 की कुल 17.4270हैक्ट मेंसे 19363/87135 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .बडबिराना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विक्रमसिह पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मांगीराम पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 417 सन 2021 निर्णय दिनांक– 01.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 185/178 की कुल 16.7180हैक्ट में से 24731/167180 हिस्सा व खाता संख्या 338/308 की कुल 17.4270हैक्ट मेंसे 19363/87135 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो वहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....बडबिराना

Scanned with CamScanner